

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/14-15/ 206

जयपुर, दिनांक:- 05/01/15

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) पंचायत, समस्त।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015- अभ्यर्थियों की अपात्रता।

महोदय,

आपका ध्यान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के खण्ड (i) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार स्पष्ट है कि संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम को, उसके द्वारा मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो महीने तक किसी व्यक्ति द्वारा नहीं चुकाया गया है तो वह व्यक्ति पंच/सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए निरहित होगा परन्तु यदि उस व्यक्ति ने ऐसे बकाया कर या फीस की रकम नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व चुका दी हो तो वह निरहित नहीं होगा।

अतः उक्त प्रावधानों की पूर्ति हेतु जिले की पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारियों एवं ग्रुप सचिव/ग्राम सेवकों से उक्त प्रावधानों के अनुरूप बकायादारों की सूची प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारियों को उपलब्ध कराये ताकि कोई भ्रान्ति ना रहे। ऐसी सूची में वर्णित व्यक्ति नामांकन दाखिल करने से पूर्व उस पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित कर या फीस संदाय करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है तो वह निरहित नहीं माना जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रावधानों को ध्यान में रख कर कार्यवाही करें।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश बसवाल)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर